

C

(Printed Pages 7)

Roll No. _____

18/2001

एल-एल.बी.(विधि) प्रथम सेमेस्टर परीक्षा, 2018

LL.B. (Law) First Semester

Examination, 2018

प्रथम प्रश्न-पत्र

First Paper

(संवैधानिक विधि-I)

(Constitutional Law-I)

समय : 3 घण्टे

पूर्णांक : 100

Time : Three Hours

Maximum Marks : 100

नोट : कुल पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 40 अंकों का लघुउत्तरीय प्रथम प्रश्न अनिवार्य है। प्रत्येक इकाई से 15 अंकों का एक-एक प्रश्न किया जाना है।

Note: Answer **five** questions in all. Short answer type question **No.1** carrying **40** marks is **compulsory**. Answer **one** question carrying **15** marks from each unit.

P.T.O.

18/2001

नोट : लघु-उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर की अधिकतम सीमा 200 शब्द तथा दीर्घ-उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर की अधिकतम सीमा 500 शब्द है।

Note: The answers to short questions should not exceed 200 words and the answers to long questions should not exceed 500 words.

1. निम्नलिखित के लघु उत्तर दीजिए : $4 \times 10 = 40$

Write short answers of the following:

(i) सहकारी संघवाद की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए।

Explain the concept of Co-operative Federalism.

(ii) निर्णीत वादों के आलोक में असंगतता के सिद्धान्त की व्याख्या कीजिए।

Explain the doctrine of Repugnancy in the light of decided cases.

(iii) संसद के सत्रावसान एवं विघटन की प्रक्रिया का उल्लेख कीजिए।

Mention the procedure of prorogation and dissolution of parliament.

(iv) 'मंत्रिमंडल साथ ही तैरता है और साथ ही डूबता है'
टिप्पणी कीजिए।

'Cabinet swims and sinks together',
Comment.

(v) "जनहितवाद प्रत्येक बीमारी की दवा नहीं है।" व्याख्या
कीजिए।

"Public Interest Litigation is not pill for
every ill". Explain.

(vi) सार और तत्व का सिद्धान्त क्या है?

What is Doctrine of Pith and Substance?

(vii) संसद के संयुक्त बैठक को कौन আহूत करता है तथा
उसकी अध्यक्षता कौन करता है?

Who summones the joint sitting of two
Houses of Parliament and who presides
over it?

(viii) दल-बदल कानून का उद्देश्य क्या है?

What is the objective of Anti-Defection
Law?

18/2001

(ix) प्रो. डायसी का विधि का शासन क्या है?

What is Prof. Dicy's Rule of Law?

(x) राज्य के दुष्कृत्यात्मक दायित्व को समझाइए।

Explain the Tortious liability of State.

इकाई-प्रथम/Unit-I

2. भारतीय संविधान की विशेषताओं की विवेचना कीजिए।

15

Discuss the salient features of the Indian Constitution.

अथवा/OR

3. भारतीय संविधान में शक्ति पृथक्करण का सिद्धान्त किस सीमा तक समाविष्ट है? क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि भारत में यह सिद्धान्त विधायिका-कार्यपालिका सम्बन्धों पर लागू नहीं होता है?

How far does the Indian Constitution incorporate the principle of separation of Powers? Do you agree with the view that this principle is not applicable to the legislative executive relationship in India?

इकाई-द्वितीय/Unit-II

4. राज्य सूची के विषयों पर संसद कब विधि बना सकती है?
When Parliament can legislate on the matters in state list? Explain. 15

अथवा/OR

5. निर्णीत वादों की सहायता से सामंजस्यपूर्ण अर्थान्वयन के सिद्धान्त की विवेचना कीजिए।
Discuss the doctrine of Harmonious Construction with the help of decided cases.

इकाई-तृतीय/Unit-III

6. संसदीय विशेषाधिकार के क्षेत्र में न्यायालयों की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्या भारतीय स्थिति इंग्लैण्ड की स्थिति से भिन्न है? निर्णीत वादों का उल्लेख कीजिए।

15

Critically examine the role of Courts in the area of parliamentary privileges. Does the position in India differ from that of England? Refer to decided Cases.

अथवा/OR

7. न्यायिक स्वतन्त्रता से आप क्या समझते हैं? न्यायिक निर्णयों के आलोक में संविधान के उन प्रावधानों की विवेचना कीजिए जो न्यायालय की स्वतन्त्रता को सुनिश्चित करते हैं।

What do you understand by the independence of Judiciary? In the light of judicial decisions, discuss the provisions of the constitution which ensure the independence of the Judiciary.

इकाई-चतुर्थ/Unit-IV

8. मूल अधिकारों पर आपातकाल के प्रभाव का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्या राष्ट्रीय आपात काल के दौरान अनुच्छेद 20 व अनुच्छेद 21 में दिये गये मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलम्बित किया जा सकता है?

15

Critically examine the impact of emergency on fundamental rights. Can the enforcement of fundamental rights enshrined in Art. 20 and Art. 21 be suspended during the operation of National emergency?

अथवा/OR

9. अनुच्छेद-368 द्वारा विहित भारत के संविधान में संशोधन सम्बन्धी प्रक्रिया की विवेचना कीजिए। क्या मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है?

Discuss the procedure prescribed by Article 368 of the Constitution for amendment of the Constitution of India. Can fundamental rights be amended?